राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 916/2024

सुरेन्द्र कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलक्टर (भू.अ.) हनुमानगढ़।
4. मान सिंह, हाल पटवारी, पटवार मण्डल डूंगराना तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 15.03.2024
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री जे.आर. चौधरी, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में हाल पटवारी के पद पर पटवार मण्डल बोझला, तहसील भादरा, हनुमानगढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मण्डल देईदास, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ 100 कि.मी. दूर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनाक 07.10.2017 (अनुलग्नक–2) द्वारा पटवारी के पद पर चयन किया गया था, उसके बाद प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरान्त अपीलार्थी का पदस्थापन पटवार मण्डल सलारपुर, तहसील तिजारा जिला अलवर में पटवारी के पद पर किया गया जहां अपीलार्थी ने दिनांक 09.08.2018 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। जिला कलक्टर (भू.अ.) हनुमानगढ के आदेश दिनांक 22.01.2021 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी का राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की पालना में पटवार मण्डल कुन्जी, तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ में स्थानान्तरण किया गया जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 27.01.2021 (अनुलग्नक–5) को कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी

विभाग के आदेश दिनांक 11.08.2021 (अनुलग्नक–6) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवार मण्डल कुन्जी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से पटवार मण्डल बोझला तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ में किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 16.08.2021 (अनुलग्नक–7) द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। स्थानान्तरण नीति के अनुसार किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण दो वर्ष पूर्व नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा अपीलार्थी को तंग व परेशान करने के लिए अपीलार्थी का अल्प अवधि 07 माह में बार–बार स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 12 माह की अल्प अवधि में प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को उसके वर्तमान पदस्थापन स्थान से पटवार मण्डल देईदास, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ में पदस्थापित करने के लिए उक्त स्थानान्तरण आदेश जारी किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को वर्तमान पद पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अपील दायर की, जिसमें अपीलार्थी का स्थानान्तरण पटवार मण्डल बोझला, तहसील भादरा, हनुमानगढ़ से पटवार मण्डल देईदास, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ किया है। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थल पर दिनांक 16.08.2021 से कार्यरत है। स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 द्वारा अपीलार्थी को प्रशासनिक कारणों से यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय करते हुए वर्तमान स्थान पर समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात स्थानान्तरित किया गया है तथा इस आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि एवं विधि विरूद्धता परिलक्षित नहीं होती है। राज्य सरकार प्रशासनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत समुचित पदस्थापन अवधि के पश्चात कहीं भी स्थानान्तरण करने के लिए स्वतंत्र है और नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने कार्मिक की सेवाएं कब और कहां ले। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश में किसी भी तरह की अनियमितता एवं दुर्भावना परिलक्षित नहीं होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in*

violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का 100 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."

प्रस्तुत प्रकरण में समंजन का कोई तथ्य परिलक्षित नहीं होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य